भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन
बिहार विधान-मंडल के एक साथ समवेत अधिवेशन में
बिहार के महामहिम राज्यपाल

श्री राम नाथ कोविन्द

का

अभिभाषण

25 फरवरी, 2016

बिहार विधान मण्डल के माननीय सदस्यगण :

राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की आकांक्षा के साथ नये वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधान मंडल के एक साथ समवेत अधिवेशन में आप सब को शुभकामना देता हूँ। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय एवं विधायी कार्य सम्पन्न होने हैं। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति का मार्ग और प्रशस्त होगा। आपसे अपील है कि सत्रावधि में अपने रचनात्मक विचारों से सरकार का मार्गदर्शन करेंगे।

2. बिहार की जनता द्वारा विकास के एजेंडे को स्वीकार करते हुए अपार बहुमत से शासन का दायित्व दिये जाने के पश्चात् राज्य सरकार ने समाज के कमजोर, साधनहीन एवं विकास से वंचित वर्गों को प्राथमिकता देते हुए बिहार के बहुमुखी विकास के लिए ठोस कदम बढ़ाये हैं। जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास को और गति देने की प्रतिबद्धता के साथ नये संकल्प लेने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से सरकार के गठन के पश्चात् "न्याय के साथ विकास" के संकल्प को दोहराते हुए आगामी पाँच वर्षों में बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के निमित्त राज्य सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 तैयार कर इसे संपूर्ण राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। आशा है, समृद्ध और विकसित बिहार बनाने के लिए ये ठोस कार्यक्रम सिद्ध होंगे।

3. राज्य सरकार के कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन और औद्योगिक प्रोत्साहन एवं निवेश की जो नीतियाँ एवं कार्यक्रम हैं वे मजबूती के साथ आगे भी जारी रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और महादलित, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के गरीब, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के विकास एवं कल्याण की अनेक योजनाएँ जो सफलतापूर्वक चल रही हैं, इन सभी को और सुदृढ़ करते हुये क्रियान्वित करते रहेंगे। अब सरकार द्वारा "विकसित बिहार के सात निश्चय" को सुशासन का लक्ष्य पाने के लिए स्वीकार किया गया है जिसे मिशन मोड में क्रियान्वित किया जायेगा। ये सात निश्चय हैं–आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर नल का जल, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, हर घर बिजली लगातार, घर तक पक्की गली नालियाँ एवं अवसर बढ़ें आगे पढ़ें।

4. राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विधि–व्यवस्था संधारित कर कानून का राज स्थापित करने की रही है। राज्य में अपराधों पर निरन्तर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है। अपराध के प्रमुख शीर्षों में कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा वर्ष 2014 के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार कुल संज्ञेय अपराधों का राष्ट्रीय औसत दर प्रति लाख जनसंख्या 229.2 है। देश में बिहार 174.2 के दर के साथ 22वें स्थान पर है। लोग भयमुक्त वातावरण में जीवन–यापन कर रहे हैं। संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाये रखने के लिए कोई समझौता नहीं किया जायेगा। आज राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द का वातावरण है। सभी वर्गों एवं सम्प्रदायों के बीच आज स्नेह, विश्वास एवं सामंजस्य है।

5. अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था की जिम्मेवारी का पृथक्कीकरण निर्धारित समय सीमा में करने के लिए कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में हेल्प लाईन के साथ 24X7 आधुनिक नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ताकि

राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आपराधिक अथवा विधि–व्यवस्था से संबंधित सूचना का त्वरित संप्रेषण कर सके और संबंधित मामले में क्षेत्रीय स्तर से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। जिलावार–थानावार आपराधिक घटनाओं का वर्गीकरण एवं मानचित्रण करके समीक्षा की जा रही है। महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के विरूद्ध घटित घटनाओं को पूरी गंभीरता से लेते हुए ऐसे अपराधों के विरूद्ध प्रभावकारी रणनीति बनाकर कार्रवाई की जा रही है। एसिड से होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एसिड बिक्री को नियंत्रित करने तथा पीड़ितों को उचित ईलाज एवं मुआवजा देने की कार्रवाई की गयी है। साथ–साथ नौकरी में आरक्षण की सुविधा भी देने का निर्णय लिया गया है।

6. राज्य की जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की संख्या को राष्ट्रीय मानक तक पहुँचाने के लिए पुलिस उपाधीक्षक से सिपाही तक के संवर्गों में कुल 43 हजार 761 पदों का सृजन किया गया है, जिसकी भर्ती पाँच चरणों में प्रस्तावित है। सिपाही के पद पर वर्ष 2006 से अब तक कुल 22 हजार 813 नियुक्तियाँ की गयी हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 11 हजार 464 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अबतक 2 हजार 152 नियुक्तियाँ की गयी हैं तथा कुल 1 हजार 140 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन हैं।

7. वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विधि–विज्ञान प्रयोगशाला, पटना के अतिरिक्त दो क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं, मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर की स्थापना की जा रही है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा पुलिस अकादमी, विभिन्न थाना भवनों, आवासीय भवनों, पुलिस लाईन, कारा भवन, पुलिस बैरक, शौचालय आदि सहित कुल 483 भवनों का निमार्ण कार्य कराया जा रहा है और 386 भवनों का निर्माण प्रस्तावित है।

8. राज्य की काराओं में मुलाकाती परिसर एवं मुलाकाती प्रबंधन व्यवस्था की योजना के अन्तर्गत आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर सहित अन्य 21 काराओं में निमार्ण कार्य चल रहा है जो पूर्ण होने की स्थिति में है। राज्य की 58 काराओं में नये सिरे से सुरक्षात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का अधिष्ठापन तथा काराओं एवं न्यायालयों के बीच बंदियों के उपस्थापन हेतु विडियो कॉन्फ्रेंसिग प्रणाली का अधिष्ठापन किया जा रहा है। अधिष्ठापन कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जायेगा।

9. राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स की नीति का अनुसरण करते हुए राज्य प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त करने हेतु कृत संकल्पित है। लोक सेवकों द्वारा अर्जित अवैध सम्पत्ति के अधिहरण हेतु बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत राज्य के विशेष न्यायालयों में 57 वाद दायर किये गये हैं, जिनमें 53 करोड़ 14 लाख रूपये निहित हैं। अब तक कुल 6 मामले में सम्पत्ति अधिहृत की गयी है। अब तक कुल 734 ट्रैप के मामलों में 797 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें वर्ष 2015 में कुल 53 ट्रैप के मामले दर्ज किये गये हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई द्वारा प्रत्यानुपातिक धनार्जन के मामले में अब तक कुल 119 मामले दर्ज किये गये हैं जिनमें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2015 में 17 मामले दर्ज किये गये हैं। भ्रष्टाचार के लिए पदों के दुरूपयोग से संबंधित अब तक कुल 344 मामले दर्ज किये गये हैं जिनमें वर्ष 2015 में 40 मामले दर्ज किये गये हैं। प्रीवेन्शन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के अन्तर्गत

9 अभियुक्तों की परिसम्पत्तियाँ अंतिम रूप से जब्त की जा चुकी हैं, जिनका मूल्य करीब 15 करोड़ 10 लाख रूपये हैं।

10. निगरानी मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारों द्वारा घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गये तथा प्रत्यानुपातिक धनोपार्जन एवं पद के दुरूपयोग संबंधी अनियमितताओं के 1 हजार 109 मामलों में विभागीय कार्रवाई संचालित कर 530 कर्मियों को सेवा से बर्खास्तगी या पेंशन जब्ती का दंड दिया गया है एवं 134 कर्मियों को अन्य दण्ड दिया गया है।

11. राज्य का योजना उद्व्यय वर्ष 2015–16 में बढ़कर 51 हजार 128 करोड़ रूपये हो गया है। राज्य का अपना कर–राजस्व वर्ष 2014–15 में बढ़कर 20 हजार 750 करोड़ रूपये हो गया है तथा वर्ष 2015–16 में 30 हजार 875 करोड़ रूपये के कर राजस्व का अनुमान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजस्व बचत 11 हजार 981 करोड़ रूपये तथा राजकोषीय घाटा 13 हजार 584 करोड़ रूपये अनुमानित है। यह राजकोषीय घाटा विगत वर्षों की भांति बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसार निर्धारित अधिसीमा 3 प्रतिशत के अधीन है, जो कुशल वित्तीय प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। पिछले पंचवर्षीय योजना काल में सरकार ने अपने योजना एवं गैर–योजना व्यय में काफी वृद्धि की है परन्तु ऋण को धारणीय सीमा में रखा गया है। वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 2014–15 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4 लाख 2 हजार 283 करोड़ रूपये एवं वार्षिक वृद्धि दर 17.06 प्रतिशत था जो देश के औसत वृद्धि दर से अधिक है।

12. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित 51 सेवाओं में 11 फरवरी, 2016 तक प्राप्त कुल 12 करोड़ 57 लाख आवेदनों में से 12 करोड़ 48 लाख आवेदन निष्पादित किये गये हैं। राज्य की जनता द्वारा समर्पित किये जानेवाले शिकायतों का विनिर्धारित समय सीमा के भीतर निवारण कराये जाने के उद्देश्य से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 को राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है। अब नागरिकों को उनकी शिकायतों पर सुनवाई एवं निवारण का अवसर एक नियत समय–सीमा के अंदर मिल सकेगा। शीघ्र ही सभी तैयारी पूर्ण कर इसे मई, 2016 से लागू किया जायेगा।

13. राज्य के समग्र विकास में मानव विकास की विशिष्ट भूमिका है और मानव संसाधन की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए प्रारंभ से ही सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। साथ ही बहुआयामी रणनीति अपनाते हुए सभी वंचित वर्गों को स्कूल पहुँचाने, नामांकन में वृद्धि लाने, नये प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने, कक्षाओं की संख्या बढ़ाने, शिक्षकों की उपलब्धता एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित करने एवं लड़के–लड़कियों के बीच शिक्षा की खाई को पाटने के लिए अनेक नवाचारी कदम उठाये गये हैं। इन सभी प्रयासों का समेकित परिणाम है कि स्कूलों से वंचित बच्चों की संख्या में निरंतर कमी आयी है और स्कूलों में विशेषकर लड़कियों की उपस्थिति बढ़ी है। वर्ष 2005 में 06–14 आयु वर्ग के लगभग 12 प्रतिशत बच्चे विद्यालय से बाहर थे जो अब घटकर मात्र 0.86 प्रतिशत ही रह गया है।

14. सर्व शिक्षा अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य के आलोक में अब तक 21 हजार 100 प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं, 19 हजार 581 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है, 11 हजार 416 नये प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य

पूर्ण किया गया है तथा 2 लाख 44 हजार 80 नये वर्गकक्षों का निर्माण पूर्ण हो गया है एवं शेष कार्य वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा कर लिया जायेगा। मुख्यमंत्री बालक–बालिका पोशाक योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष मे कुल 1 करोड़ 52 लाख 81 हजार 137 बालक–बालिकाओं को पोशाक की राशि उपलब्ध करायी गयी है। मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका साईकिल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में 9वीं कक्षा में नामांकित 17 लाख 35 हजार 960 छात्र–छात्राओं को साईकिल के लिए निधि उपलब्ध करायी गयी है। राज्य में इस वित्तीय वर्ष के अर्न्तगत 2 करोड़ 3 लाख से अधिक छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

15. वित्तीय वर्ष 2015–16 में 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सामान्य कोटि एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 78 हजार 948 छात्राओं एव उच्च जाति के 30 हजार छात्रों को राशि उपलब्ध करायी गयी है। सरकारी विद्यालयों में नामांकित छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का नगदी हस्तांतरण के लिए बच्चों के माता–पिता–अभिभावक के खाता का संधारण किया जा रहा है एवं आगामी वित्तीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि सीधे खाते में हस्तांतरण करने की योजना है।

16. राज्य सरकार द्वारा राज्य के 4 हजार 500 माध्यमिक–उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत इस वर्ष 1 हजार 160 नये विद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति दी गयी है। अब तक 2 हजार 157 मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। विद्यालयों मे कम्प्यूटर शिक्षा योजना के तहत 832 विद्यालयों में कम्प्यूटर अधिष्ठापित हो चुके हैं एवं कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है। गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा के लिए "मिशन गुणवत्ता" नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जो राज्य में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित कराने में कारगर साबित हो रहा है। राज्य के सभी प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण एवं प्रशिक्षण में गुणवत्ता के विकास हेतु विश्व बैंक के साथ राज्य सरकार ने एकरारनामा किया है। परियोजना की अवधि वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–20 है।

17. राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कुल 11 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुल 5 प्रस्तावों को समीक्षोपरांत निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापना हेतु एल.ओ.आई. निर्गत हो चुका है। राज्य में आई आई. एम. की स्थापना हेतु मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के परिसर में लगभग 119 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी है। इस संस्थान में सत्र 2015–16 से पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है।

18. बिहार देश के सबसे युवा–बहुल राज्यों में से एक है। बिहार की नयी पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए सक्षम बनाना राज्य के 'न्याय के साथ विकास' की नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। सरकार का निश्चय है –*"आर्थिक हल, युवाओं को बल"*। अतः निश्चय के अनुरूप युवाओं के लिये विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु जिला मुख्यालय में युवाओं के लिए पंजीकरण एवं रोजगार परामर्श केन्द्र स्थापित करने की योजना है, लगभग 4 करोड़ की लागत के इस केन्द्र में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं का पंजीकरण होगा। पजीकरण के उपरान्त उन्हे तीन विकल्पों यथा– स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड, भाषा–संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर–ज्ञान कौशल और स्वयं सहायता भत्ता में से पात्रता के अनुसार कोई

एक विकल्प से लाभान्वित किया जा सकेगा। सभी जिलों में एक या एक से अधिक जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के भवन निर्माण के लिए 155 करोड़ रूपये के संभावित व्यय की स्वीकृति दी गयी है।

19. वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए स्वीकृत बिहार स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कोई भी विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा हेतु ऋण लेने के लिए इच्छुक हों, को बैंक के माध्यम से शिक्षा ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना के तहत अधिकतम 4 लाख रूपये तक ऋण मुहैया कराया जा सकेगा जिसके लिए बैंकों को गारंटी एवं वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जायेगी। योजना की पात्रता रखने वाले सभी विद्यार्थियों को अपना पंजीकरण, जिला पंजीकरण एवं परामर्श केन्द्र में करवाना होगा जहाँ से उसके आवेदन को संबंधित बैंक में भेजा जायेगा और विद्यार्थी को स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कम से कम 5 लाख विद्यार्थियों के आच्छादन का लक्ष्य है।

20. **"स्वयं सहायता भत्ता"** योजना के तहत 12वीं कक्षा पास 20–25 वर्ष के आयु वर्ग में आनेवाले वैसे युवक/युवतियाँ जो अध्ययनरत नहीं हों तथा रोजगार की तलाश कर रहे हों, को अधिकतम दो वर्षों के लिए प्रति माह एक हजार रूपये की दर से स्वयं सहायता भत्ता उपलब्ध कराया जायेगा। यह भत्ता युवा वर्ग को रोजगार तलाशने में सहायक होगा। वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजना को लागू करने के लिए 1 हजार 216 करोड़ रूपये के संभावित व्यय की स्वीकृति दी गयी है।

21. **जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र** में निबंधित 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी अगर भाषा–संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर–ज्ञान कौशल प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो उन्हें प्रखंड स्तर पर स्थापित कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान के साथ–साथ अन्य कौशल प्राप्त करने के लिए संबद्ध किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वैसे छात्र/छात्राएँ जो 10वीं उत्तीर्ण हैं तथा आगे शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं एवं 15–20 वर्ष आयु वर्ग के हैं और कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हों तो उनके आवेदन भी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में प्राप्त किये जायेंगे और उन्हें रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी।

22. राज्य के 14 विश्वविद्यालय परिसर एवं 262 संबद्ध महाविद्यालयों में **निःशुल्क वाई–फाई** के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 185 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति दी गयी है। इस योजना का क्रियान्वयन सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 से कराया जायेगा।

23. सरकार का एक निश्चय *"अवसर बढ़ें, आगे पढ़ें"* के तहत राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में युवाओं का योगदान, उच्च शिक्षा के विकास एवं कुशल कामगारों के आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला एवं अनुमण्डल में उच्च, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की समेकित व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक जिला में जी.एन.एम. स्कूल एवं प्रत्येक अनुमंडल में ए.एन.एम. स्कूल के संकल्प के अन्तर्गत 20 नये जी.एन.एम. स्कूल एवं 63 नये ए.एन.एम. स्कूल खोले जाने हेतु कुल अनुमानित 638 करोड़ रूपये की निश्चय योजना की स्वीकृति दी गयी है। 5 नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला स्तर पर 24 पैरा–मेडिकल संस्थान खोले जाने हेतु कुल अनुमानित 2 हजार 120 करोड़ रूपये की

निश्चय योजना की स्वीकृति दी गयी है। चिकित्सा महाविद्यालयों में 16 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु कुल अनुमानित 528 करोड़ रूपये की निश्चय योजना की स्वीकृति दी गयी है।

24. प्रत्येक जिला में पॉलिटेकनिक एवं अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना के संकल्प के आलोक में 11 जिलों में पॉलिटेकनिक की स्थापना एवं 26 जिलों में नये अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु क्रमशः 841 करोड़ रूपये एवं 3 हजार 15 करोड़ रूपये की निश्चय योजना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21 के लिए दी गयी है। सभी जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रत्येक अनुमण्डल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के संकल्प के आलोक में 22 जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं 54 अनुमंडलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2016–17 से करने हेतु क्रमशः 399 करोड़ एवं 1 हजार 507 करोड़ रूपये की निश्चय योजना की स्वीकृति दी गयी है।

25. स्वास्थ्य सेवाओं के विकास की दिशा में सरकार ने काफी प्रगति की है। मातृ–स्वास्थ्य के लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि में प्रसव के साथ अन्य स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। नवजात शिशुओं एवं बच्चों की मृत्यु–दर में कमी लाने के लिए नवजात शिशु देखभाल हेतु 510 केन्द्र, नवजात शिशु स्थिरीकरण हेतु 35 इकाई, विशेष नवजात देखभाल हेतु 22 इकाई संस्थापित हैं तथा नवजात शिशुओं की घर पर आशा कार्यकर्त्ताओं द्वारा नियमित भ्रमण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। अति गंभीर कुपोषित बच्चों की देखभाल के लिए 36 पोषण पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गयी है। राज्य में प्रतिरक्षण संबंधी उत्तरोत्तर आच्छादन हेतु 14 जिलों में मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम एवं 24 जिलों में मुख्यमंत्री सघन टीकाकरण अभियान चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। फलस्वरूप राज्य में पूर्ण प्रतिरक्षण का आच्छादन डब्लू.एच.ओ. के विश्लेषण के अनुसार 82 प्रतिशत पहुँच गया है। राज्य के 0–18 वर्ष के बच्चों में सम्यक वृद्धि एवं विकास हासिल करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जुलाई, 2015 से शुरू किया गया है एवं स्वास्थ्य जाँचोपरान्त अद्यतन 68 लाख 51 हजार 904 बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया गया है।

26. नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करने हेतु राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक के वाह्य कक्ष में मरीजों का निबंधन, दवा वितरण, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी जाँच की सुविधा हेतु कम्प्यूटरीकृत प्रणाली "संजीवनी" के तहत् 5 करोड़ 30 लाख से अधिक मरीजों की सूचना दर्ज की गयी है।

27. स्वास्थ्य क्षेत्र में द्वितीय चरण के सुधार कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। राज्य के 534 प्रखण्डों में न्यूनतम एक–एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 24X7 संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक जिले के दो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी की सेवा आरम्भ की जा रही है। सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में एवं 36 जिला अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन मशीन एवं डायलिसिस की सुविधा आरम्भ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी जिला अस्पतालों में नेत्र एवं चर्म रोग के ओ0पी0डी0 तथा गहन चिकित्सा कक्ष की स्थापना, फिजियोथेरेपिस्ट एवं ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट की नियुक्ति तथा फिजियोथेरेपी यूनिट की स्थापना, डायलिसिस, एम0आर0आई0 एवं सी0टी0 स्कैन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

28. इसके अतिरिक्त सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर में अस्थि रोग, राजेन्द्र नगर अस्पताल में चक्षु रोग तथा गार्डिनर रोड अस्पताल में ग्रन्थि रोग हेतु विशिष्ट इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विशिष्ट अस्पतालों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

29. बिहार में सड़कों तथा पुल–पुलियों का जाल बिछाकर सुदूर क्षेत्रों एवं लोगों को इससे जोड़ा गया है। इससे ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को बल मिला है। हमने राज्य के हर सुदूर क्षेत्र से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब इस लक्ष्य को घटाकर 5 घंटे कर दिया गया है और इसके लिए योजनाबद्ध कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। आधारभूत संरचना के निर्माण से हमने न केवल सुदूर क्षेत्रों को संपर्कता प्रदान की बल्कि विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों को भी जोड़ने का काम किया है। पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग दोनों ने मिलकर अब तक 74 हजार किलोमीटर से अधिक वृहद् और ग्रामीण सड़कों का निर्माण तथा उन्नयन किया है। अभिगम्यता बढ़ाने हेतु 6 हजार 282 वृहद–लघु पुलों का भी निर्माण कराया है। नई आधारभूत संरचना के निर्माण के साथ–साथ उसके रख–रखाव के लिए भी नीति बनाई गयी है। सरकार राज्य उच्च पथों, वृहद जिला पथों के साथ–साथ ग्रामीण पथों के अनुरक्षण पर भी काम कर रही है।

30. पटना स्थित जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड) पर जगदेव पथ से शेखपुरा मोड़ तक ऊपरी राजमार्ग एवं चिरैयाटांड ऊपरी पुल का गांधी मैदान तक विस्तारीकरण योजना का लोकार्पण किया गया है। पटना शहर स्थित मीठापुर आर0ओ0बी0 से स्टेशन होते हुए चिरैयाटाँड़ ऊपरी पुल तक विस्तारीकरण, लोक नायक गंगा पथ (दीघा से दीदारगंज) एवं पटना स्थित एम्स से दीघा तक एलिवेटेड कोरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति में है। पटना शहर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोंड) पर ललित भवन से विद्युत भवन के बीच लोहिया पथ चक्र तथा मीठापुर ऊपरी पुल से भिखारी ठाकुर (यारपुर) ऊपरी पुल (भाया आर. ब्लॉक जंक्शन) के बीच फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

31. राज्य के 250 या उससे अधिक आबादी वाले सभी बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु नये पथों के निर्माण के साथ–साथ पूर्व निर्मित ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण एवं अनुरक्षण कार्य हेतु राज्य सरकार कृत–संकल्प है। आधारभूत संरचना सृजन के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार का निश्चय है *"घर तक, पक्की गली–नालियाँ"*। इसके तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरांत, शेष बचे राज्य के सभी सम्पर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा तथा सभी गाँव एवं शहरों में गली–नाली का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना को स्वीकृति दे दी गयी है एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

32. औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र के विकास में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्पादन, वितरण एवं संचरण के प्रक्षेत्र में परियोजनाओं को तीव्र गति से कार्यान्वित किया जा रहा है। उत्पादन प्रक्षेत्र में मुजफ्फरपुर ताप विद्युत प्रतिष्ठान की 110 मेगावाट की दोनों इकाइयों का आधुनिकीकरण कर उत्पादन शुरू हो चुका है। साथ ही निर्माणाधीन 195 मेगावाट की दो नई इकाइयों के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का लक्ष्य है। बरौनी ताप

विद्युत प्रतिष्ठान की 110 मेगावाट की दोनों इकाइयों का आधुनिकीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण कर उत्पादन प्रारम्भ किया जायेगा। साथ ही 250 मेगावाट की दो नयी इकाइयों का कार्य निर्माणाधीन है जिसे 2016–17 तक पूरा करने का लक्ष्य है। नवीनगर में स्टेज–I एवं स्टेज–II के तहत 660 मेगावाट की तीन–तीन इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

33. राज्य में संचरण के क्षेत्र में उत्साहवर्द्धक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। वर्तमान में 3 हजार 459 मेगावाट ईवैक्यूएशन की क्षमता हासिल की जा चुकी है और इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक इसे 5 हजार मेगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य है। स्पेशल प्लान के अन्तर्गत 7 ग्रिड उपकेन्द्रों का निर्माण, 47 ग्रिड उपकेन्द्रों में संचरण क्षमता वृद्धि, 4 हजार 480 सर्किट किलोमीटर नये संचरण लाईनों का सुदृढ़ीकरण, 13 पुराने ग्रिड उपकेन्द्रों का जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण एवं पटना में संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है।

34. राज्य में वितरण के प्रक्षेत्र में परियोजनाओं को तीव्र गति से कार्यान्वित कराया जा रहा है। स्पेशल प्लान के अन्तर्गत फेज–1 के तहत स्वीकृत योजनाएँ मुख्यतः वितरण कम्पनियों के विद्युत संरचना की सुदृढ़ीकरण से संबंधित हैं तथा फेज–2 के तहत स्वीकृत योजना का उद्देश्य 2016–17 के पीक लोड के मांग को पूरा करने हेतु वितरण संरचनाओं के नव निर्माण से संबंधित है। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 2 हजार 944 अदद अविद्युतीकृत गाँवों में से 1 हजार 864 अदद गाँवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है, शेष 1 हजार 80 गाँवों को अभियान चलाकर शीघ्र विद्युतीकृत कर दिया जायेगा।

35. सरकार के निश्चय –*"हर घर बिजली लगातार"* के तहत राज्य के बचे हुए सभी गांव और बसावटों का विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया जाएगा तथा सरकार अपने संसाधनों से सभी घरों तक बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करायेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना की स्वीकृति दी गयी है जिसके तहत हर घर को विद्युत संबंध देने हेतु कुल 1 हजार 897 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति दी गयी है।

36. राज्य में कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप को लागू किया जा रहा है। कृषि रोड मैप के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज, नये–नये कृषि यंत्र, वर्मी कम्पोस्ट तथा फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि के उन्नतशील तौर–तरीकों से संबंधित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। इस दिशा में मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना एवं बीज ग्राम योजना कार्यक्रम काफी सफल रहे हैं। धान, गेहूँ, दलहन एवं मक्का की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए वैज्ञानिक विधियों से खेती के लिए बड़े पैमाने पर प्रत्यक्षण का आयोजन किया गया। कृषि विकास के लिए राज्य सरकार के व्यापक प्रयासों के कारण आज राज्य में गेहूँ, चावल एवं मक्का की उत्पादकता, राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसके अतिरिक्त दलहन, तेलहन एवं कुल खाद्यान्न के उत्पादन एवं उत्पादकता में भी वृद्धि दर्ज की गयी है।

37. राज्य के सभी किसानों को 3 वर्षों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके तहत् अब तक 7 लाख 21 हजार 330 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं। अब तक 285 प्रखंडों में ई–किसान भवन के निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। राज्य में बागवानी के विकास के लिए वर्ष 2015–16 में अबतक 17 लाख पौधों का वितरण किसानों के बीच किया गया है। चण्डी (नालन्दा) एवं

देसरी (वैशाली) में क्रमशः सब्जी एवं फल के एक–एक सेन्टर ऑफ एक्सलेन्स की स्थापना की जा रही है। मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, जैविक सब्जी की खेती तथा कृषकों के बीच टिशू कल्चर पौधे उपलब्ध कराने संबंधी विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

38. मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के अन्तर्गत प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम, आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम, प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम, समेकित कीट व्याधि प्रबंधन कार्यक्रम, खूंटी प्रबंधन कार्यक्रम, गन्ने के साथ अन्तरवर्ती फसल उत्पादन कार्यक्रम, कृषि यंत्रीकरण, कृषक प्रशिक्षण आयोजन कार्यक्रम इत्यादि को शामिल किया गया है।

39. सरकार के प्रयासों और लोगो की भागीदारी के फलस्वरूप राज्य का हरित आवरण, जो वर्ष 2011 में लगभग 9.79 प्रतिशत था, वह बढ़कर वर्तमान में 12.88 प्रतिशत हो गया है। इसे वर्ष 2017 तक 15 प्रतिशत करने हेतु सरकार द्वारा हरियाली मिशन के तहत अनेक योजनायें चलायी जा रही है। कृषि वानिकी योजना, निजी पौधशाला योजना एवं वृक्ष संरक्षण आदि योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कुल मिलाकर अब तक लगभग 19 करोड़ 50 लाख वृक्षों का रोपण किया गया है।

40. पशु एवं मत्स्य संसाधन का ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण एवं ग्रामीण स्वरोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवा, पशुपालकों को एम्बुलेट्री वैन के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में कार्यरत सभी पशु चिकित्सालयों में निःशुल्क प्राणरक्षक पशु दवा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2015–16 तक 500 पशु चिकित्सालयों के नवनिर्मित भवन को हस्तगत कराया जा चुका है। राज्य में पशु विज्ञान, गव्य विज्ञान एवं मत्स्य तकनीक के अध्ययन एवं शोध कार्य हेतु बिहार पशु विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।

41. राज्य में डेयरी इकाई की स्थापना हेतु समग्र गव्य विकास योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति–जनजाति के लाभार्थी को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। राज्य में दुग्ध संग्रहण अभिवृद्धि हेतु स्वयं सहायता समूहों का गठन, दुग्ध संग्रहण केन्द्र एवं स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र तथा स्वचालित मिल्कींग मशीन उपलब्ध कराने की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

42. राज्य में मत्स्य विकास हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मत्स्य पालकों द्वारा अधिक से अधिक मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि हेतु 93 हजार 296 हेक्टेयर तालाबों, 9 लाख 41 हजार हेक्टेयर आर्द्र जल क्षेत्र, 26 हजार 303 हेक्टेयर जलाशय, 9 हजार हेक्टेयर मन तथा 3 हजार 200 किलोमीटर नदियों का विकास तथा फिश फेडरेशन एवं फिश–फीड–मील उद्योग की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में बिहार मीठा जल मछली उत्पादन में देश में चौथे स्थान पर है।

43. अल्पकालीन सहकारी कृषि ऋण वितरण के अन्तर्गत सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2015–16 में 2 अरब 68 करोड़ रूपये खरीफ ऋण एवं 51 करोड़ 44 लाख रूपये रबी ऋण वितरित किया गया है। वर्त्तमान वर्ष 2015–16 में किसानों से अधिप्राप्ति किये गये धान का, पैक्स–व्यापार मंडलों द्वारा मिलिंग कराकर सी.एम.आर. (चावल) राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान शत–प्रतिशत आर.टी.जी.एस.–एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से बैंकों के द्वारा किया जा रहा है। 18 फरवरी, 2016 तक 5 लाख 36 हजार मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है।

44. कृषि रोड मैप के अन्तर्गत पैक्स–व्यापार मंडलों द्वारा भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि के लिए नये गोदाम निर्माण कराने के निमित्त अब तक 2 हजार 975 गोदामों का निर्माण कर 12 लाख 63 हजार मेट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है तथा 1 हजार 583 गोदामों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन हेतु बायोमास गैसीफायर आधारित चावल मील स्थापना के लिए कुल 225 चावल मील–सह–गैसीफायर का निर्माण पूरा हो गया है तथा 92 में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

45. राज्य में वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से 29 लाख 25 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है यथा विष्णु वीयर, जगन्नाथ वीयर, कर्मनासा पम्प नहर, मोर वीयर, दुर्गावती जलाशय योजना, पंतित वीयर योजना, सोलहंडा वीयर योजना, लवाईच रामपुर बराज योजना, उदेरास्थान बराज योजना आदि योजनाओं का क्रियान्वयन से 26 हजार 497 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होने की संभावना है। राज्य सरकार के सतही सिंचाई योजना के अन्तर्गत कुल 161 अदद् योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इससे कुल 67 हजार 386 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जायेगा। आर0 आई0 डी0 एफ0 योजनान्तर्गत कुल 27 अदद् योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिससे 27 हजार 549 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जायेगा। राज्य के अन्दर नदी बेसिनों को जोड़ने की योजना अन्तर्गत बूढ़ी गंडक–नून–बाया–गंगा लिंक नहर योजना, बकसोती में बराज बनाकर सकरी–नाटा लिंक योजना एवं कोशी–मेची लिंक योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा गया था। केन्द्रीय जल आयोग के स्तर पर इन योजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति के कार्यों में प्रगति हुई है। इन्द्रपुरी जलाशय योजना के निर्माण हेतु पूर्ण जलाशय स्तर एवं अधिकतम जल स्तर निर्धारण के चिरलंबित मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से सहमती बनी है।

46. लघु सिंचाई के क्षेत्र में अनुदान आधारित बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना, राज्य के सभी प्रखंडों में प्रारम्भ की गयी है। इसके अन्तर्गत कुल 19 हजार 812 नलकूप लगाकर 20 हजार एकड़ से अधिक सिंचाई क्षमता के सृजन का कार्यक्रम है।

47. सामाजिक–आर्थिक जातीय जनगणना के सर्वेक्षण के आधार पर खाद्य सुरक्षा लागू करने वाले राज्यों में बिहार अग्रणी है। निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्त के आलोक में पहचान किये गये 8 करोड़ 57 लाख पात्र लाभुकों को संशोधित दर पर 4 लाख 57 हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न का मासिक आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शत–प्रतिशत अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति पात्र परिवारों को इस योजना के तहत आच्छादित करने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में खाद्यान–किरासन तेल की कालाबाजारी के निरीक्षण के क्रम में कुल 322 छापेमारियाँ की गयी और दर्ज प्राथमिकी की संख्या 163 है तथा 138 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

48. मनरेगा अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित मजदूरी 177 रूपये दी जा रही है, जबकि इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा मजदूरी की दर 162 रूपये निर्धारित है। मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2015 तक 3 करोड़ 52 लाख 69 हजार मानव दिवस सृजन किये गये एवं 10 अरब 14 करोड़

42 लाख रूपये व्यय हुए हैं। इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1 लाख 89 हजार आवास की स्वीकृति दी गयी है तथा 3 अरब 58 करोड़ 48 लाख रूपये व्यय कर लम्बित 2 लाख 5 हजार आवासों को पूर्ण किया गया है। इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत 5 लाख अपूर्ण आवासों को वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

49. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध एवं पर्याप्त पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार सतत् प्रयासरत है। इस वित्तीय वर्ष में स्लीप्ड बैक 3 हजार 964 बसावट एवं गुणवत्ता प्रभावित 1 हजार 98 बसावटों का आच्छादन किया गया है। राज्य के आंशिक आच्छादित बसावटों के आच्छादन हेतु 15 हजार 515 चापाकल लगाये गये हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय निर्माण के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना अंतर्गत वर्ष 2015–16 में अब तक बी.पी.एल. परिवारों के घरों में 91 हजार 766 शौचालय तथा ए. पी.एल. परिवारों के घरों में 47 हजार 338 शौचालय अर्थात् कुल 1 लाख 39 हजार 104 शौचालय का निर्माण किया गया है।

50. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। *"हर घर–नल का जल"* के निश्चय के तहत शहरी क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री शहरी पेय जल निश्चय योजना की स्वीकृति दी गयी है जिसके अन्तर्गत 14 लाख 64 हजार 581 परिवारों को पाईप जल आपूर्ति से स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरों तक पाईप जलापूर्ति के माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

51. *"शौचालय निर्माण, घर का सम्मान" के निश्चय के* तहत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गयी है जिसके अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए अगले पाँच वर्षो में लगभग 23 हजार 554 करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए भी योजना की स्वीकृति दी गयी है जिसके तहत 602 करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे।

52. राज्य में औद्योगिक विकास एवं विस्तार के लिए सरकार द्वारा अनेक पहल की गयी है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के फलस्वरूप अब तक स्वीकृत 308 नयी इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है एवं 183 इकाइयों में स्थापना का कार्य अग्रिम चरण में है, जिसमें अब तक 78 अरब 73 करोड़ रूपये का निवेश हुआ है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2016 के निरूपण की कार्रवाई की जा रही है। सरकार के निश्चय के तहत युवाओं के उद्यमिता–विकास एवं स्टार्ट–अप कैपिटल हेतु, 500 करोड़ रूपये का *'वेंचर कैपिटल फंड'* गठित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से ऐसे युवाओं को वित्तीय सहायता दी जायेगी, जो उद्योग लगाकर स्वरोजगार करना चाहते हैं। उद्भवन–केन्द्र की भी स्थापना करायी जायेगी।

53. राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उद्देश्य से बिहार राज्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। सरकार द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। सरकारी कर्मियों एवं

समुदाय के क्षमता संवर्द्धन के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इनमें बाढ़ आपदा से राहत एवं बचाव हेतु वेयर हाउस का निर्माण, गोताखोरों, स्वयं सेवकों, क्विक मेडिकल रिसपांस टीम, मोटरबोट चालकों, भूकम्प रोधी निर्माण हेतु अभियन्ता, वास्तुविद, ठीकेदार एवं राज मिस्त्री आदि को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

54. राज्य के 544 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत सभी 91 हजार 677 आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती–शिशुवती महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार से आच्छादित किया जा रहा है जिस पर लगभग 798 करोड़ रूपये व्यय हुआ है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 2 हजार 915 आँगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण एवं 3 हजार 905 आँगनवाड़ी केन्द्र भवनों के उत्क्रमण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

55. वृद्धजनों, विधवाओं, निःशक्तजनों एवं असहाय व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य–सुधार तथा कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार सतत् प्रयत्नशील है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत आच्छादित आबादी में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान में 67 लाख 85 हजार लोग आच्छादित हो रहे हैं, जिन पर लगभग 21 अरब 87 करोड़ 64 लाख रूपये व्यय किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में वित्तीय वर्ष में अब तक 7 करोड़ 62 लाख रूपये का व्यय किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे परिवार में जन्म लेने वाली कन्याओं के लिए वित्तीय वर्ष में 45 करोड़ 40 लाख रूपये का बजट उपबंध निर्धारित किया गया है। अन्तर्जातीय विवाह योजना में प्रोत्साहन स्वरूप दी जानी वाली राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रूपये प्रति लाभान्वित की गयी है।

56. मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तीकरण योजना (सम्बल) योजनान्तर्गत इस वर्ष अब तक 8 करोड़ 85 लाख रूपये व्यय किये गये हैं। विकलांग बच्चों को विकलांग छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा हेतु ऋण, स्वरोजगार ऋण, कृत्रिम अंग एवं उपकरण का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। अभी तक 6 लाख 88 हजार विकलांग व्यक्तियों को निःशक्तता पेंशन से आच्छादित किया जा चुका है।

57. राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के प्रति संवेदनशील है और यह इसकी प्रमुख नीतियों का अभिन्न अंग है। 'जीविका' परियोजना के तहत राज्य में 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य है, जिसमें लगभग डेढ़ करोड़ महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। 'जीविका' अन्तर्गत अब तक 4 लाख 60 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 1 लाख 40 हजार समूहों को बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण कराते हुए रोजगार मुहैय्या कराया गया। राज्य में 'महिला सशक्तीकरण नीति, 2015' लागू की गयी है। *''आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार''* के निश्चय के तहत महिला सशक्तीकरण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय इसी वित्तीय वर्ष में लेकर सरकार ने अपने निश्चय का क्रियान्वयन प्रारंभ किया है।

58. सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक विकास पर बल दिया है और तालिमी मरकज, हुनर, विद्यार्थी प्रोत्साहन, शिक्षा ऋण एवं रोजगार ऋण

आदि योजनाओं की सफलता इसका द्योतक है। अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2015 में उत्तीर्ण 1 लाख 39 हजार 71 अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं के बीच 2 अरब 15 करोड़ 61 लाख 79 हजार रूपये वितरित किये गये हैं। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में अब तक 6 हजार 129 अल्पसंख्यक लाभुकों को स्वरोजगार हेतु 62 करोड़ 6 लाख रूपये का वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में अब तक 1 हजार 109 अल्पसंख्यक लाभुकों के बीच 15 करोड 6 लाख रूपये आबंटित किया गया है। राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द के मद्देनजर 8 हजार 64 कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने के सरकार के निर्णय के विरूद्ध अब तक कुल 4 हजार 853 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। हाल ही में राज्य के प्रमुख एव प्राचीन मंदिरों की सुरक्षा हेतु चहारदीवारी निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी है।

59. महादलित विकास योजना के अन्तर्गत वासभूमि रहित महादलित परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने की योजना के तहत अभी तक सभी स्रोतों से 2 लाख 38 हजार 92 परिवारों को 7 हजार 170 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी गयी है। महादलितों के विकास हेतु बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से कई प्रकार के आर्थिक उन्नयन के साथ–साथ, आधारभूत संरचना की योजनाओं के लिए वर्ष 2015–16 में 2 अरब 20 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। दशरथ माँझी कौशल विकास योजना के अन्तर्गत अब तक 82 हजार 390 महादलित समुदाय के व्यक्तियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया गया है एवं अबतक लगभग 15 हजार व्यक्ति विभिन्न ट्रेडों में नियोजित किये गये हैं। थरूहट क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में 25 करोड़ 30 लाख रूपये के बजट का प्रावधान है।

60. वर्ष 2015–16 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 55 लाख से अधिक छात्र–छात्राओ को छात्रवृत्ति मद में 8 अरब 94 करोड़ रूपये से अधिक की राशि वितरित की गयी है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति–जनजाति मेधावृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 1 लाख 44 हजार 691 छात्र–छात्राओं को 1 अरब 50 करोड़ रूपये वितरित किये गये हैं।

61. वित्तीय वर्ष 2015–16 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 12 अरब 75 करोड़ 25 लाख 47 हजार रूपये आबंटित करते हुए अब तक लगभग 1 करोड़ 15 लाख छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत इंटरमीडिएट एवं उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से अधिक न हो, को छात्रवृत्ति प्रदान करते हुए लगभग 4 लाख 50 हजार छात्र–छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण अन्तर्गत 8 जिलों में छात्रावास निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जो संचालन की प्रक्रिया में हैं। शेष जिलों में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

62. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए एक–एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र राज्य के विश्वविद्यालयों में संचालित किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 68 हजार

छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से नई योजना "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" शुरू की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 30 करोड़ रूपये सभी जिलों को आबंटित करते हुए 30 हजार छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित है।

63. बाल श्रम उन्मूलन हेतु गठित धावा दल द्वारा कुल 6 हजार 550 निरीक्षण कर दोषी पाए गए 372 नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन दायर किया गया तथा 709 बाल श्रमिकों को विमुक्त कर उनके पुनर्वास संबंधी कार्रवाई की जा रही है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक–01 अक्टूबर, 2015 से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर 197 रूपये प्रति दिन एवं कृषि नियोजन के लिए 189 रूपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। बिहार राज्य प्रवासी मजदूर अनुदान योजना नियमावली के अन्तर्गत दिसम्बर, 2015 तक 77 मृत प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को तथा एक आंशिक अपंग प्रवासी मजदूर को कुल 77 लाख 37 हजार 500 रूपये आबंटित किये जा चुके हैं। प्रवासी श्रमिकों के दायरे में "विदेश" में कार्यरत श्रमिकों को भी लाया गया है। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में अब तक कुल 6 लाख 82 हजार निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। एक वर्ष की सदस्यता पूरी करने वाले कुल 5 हजार 481 पंजीकृत निर्माण कामगारों के लिए भवन निर्माण–मरम्मती, औजार एवं साईकिल क्रय हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में कुल 8 करोड़ 22 लाख 15 हजार रूपये व्यय किये गये हैं।

64. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य के सभी जिलों–प्रमण्डलों एवं विश्वविद्यालयों में नियोजन–सह–व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम योजना के तहत नियोजन मेलों के आयोजन किये जा रहे हैं। इस वर्ष अब तक निजी कम्पनियों द्वारा कुल 82 हजार 262 युवक–युवतियों को नियुक्ति हेतु चयन किया गया है।

65. ग्राम स्वराज और सामाजिक न्यास की अवधारणा को जमीन पर उतारने के लिए पंचायतों को सशक्त किया जा रहा है। सरकार ग्राम पंचायतों को न सिर्फ सत्ता के विकेन्द्रीकरण के केन्द्र के रूप में विकसित करना चाहती है, बल्कि ग्रामीण स्तर पर तकनीकी उत्कृष्टता एवं कौशल केन्द्र के रूप में भी स्थापित करना चाहती है। इसी उद्देश्य से पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पूर्णतः निर्मित पंचायत सरकार भवनों को आवश्यक फर्नीचर, कम्प्यूटर एवं अन्य आई.टी. उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के क्षमतावर्द्धन हेतु राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर संसाधन केन्द्रों को विकसित किया जायेगा। त्रि–स्तरीय पंचायतों के लिए अभियंत्रण संगठन का गठन भी किया जा रहा है।

66. इस वर्ष फिर से पंचायतों के आम निर्वाचन सम्पन्न होने वाले हैं। त्रि–स्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों के चुनाव हेतु अधिसूचना शीघ्र ही निर्गत की जायेगी। एक बार फिर से अधिनियम के अनुरूप आरक्षण चक्र के अनुसार चुनाव कराये जायेंगे। विगत चुनावों की तरह इस बार भी स्वच्छ, निष्पक्ष एवं उत्कृष्ट चुनाव हो सके, इसके लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है।

67. "गाँव की योजना, गाँव का विकास" की अवधारणा को मूर्त रूप देते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है। वार्षिक एवं

दीर्घकालिक दोनों ही तरह की योजनाओं का सूत्रीकरण वार्ड स्तर पर किया जा रहा है, ताकि ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की जा रही विकास योजनाओं में कोई भी टोला–बसावट योजना निर्माण की प्रक्रिया में छूट न जाये।

68. राज्य के सभी प्रमुख शहरों में पर्यावरण संरक्षण और संधारण के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नगर विकास योजना एवं राज्य योजना अंतर्गत स्थानीय निकायों के लिए अनुदान योजना लागू की गयी है। राज्य की सभी 141 शहरी स्थानीय निकायों में सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के लिए वार्षिक तौर पर प्रोत्साहन स्वरूप "स्वच्छता सहायक अनुदान" आरम्भ किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगर निकायों को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से मुख्यमंत्री "आदर्श नगर निकाय" प्रोत्साहन योजना लागू करने की कार्रवाई की जा रही है।

69. पटना में वैकल्पिक परिवहन सुविधा सृजित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पटना मेट्रो रेल परियोजना की परिकल्पना की गयी है। इसके अन्तर्गत दो चरणों में 31 किलोमीटर लम्बाई में मेट्रो रूट का निर्माण किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन एस०पी०वी० मॉडल में अनुमानित लागत 16 हजार 960 करोड रूपये पर कराने के लिए परियोजना प्रस्ताव को केन्द्र सरकार एवं कर्ज प्राप्त करने हेतु बाह्य वित्तीय संस्थानों की स्वीकृति हेतु भेजने के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

70. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में अब तक 771 राजस्व ग्रामों के मानचित्र का सत्यापन, 305 राजस्व ग्रामों के मानचित्र का खानापुरी कार्य, 104 राजस्व ग्रामों के प्रारूप प्रकाशन का कार्य एवं 2 राजस्व ग्रामों के मानचित्र तथा अभिलेखों के अंतिम प्रकाशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 30 राजस्व ग्रामों का मानचित्र अंतिम प्रकाशन के लिए तैयार है। सर्वे मानचित्रों का डिजिटाईजेशन योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम राज्य के सभी 38 जिलों का कैडस्ट्रल एवं 28 जिलों में रिविजनल मानचित्रों का डिजिटाईजेशन कार्य पूरा कर लिया गया है। बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से राज्य के सभी जिलों के राजस्व मानचित्रों की ऑनलाईन आपूर्ति का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

71. वाणिज्य कर विभाग की सभी ऑनलाईन सेवाओं को एक ही वेबसाईट पर स्थानांतरित किया गया है, जिससे व्यवसायी एवं उद्यमी लाभान्वित हुए हैं। वाणिज्य–कर विभाग में पुराने बकाया कर के निपटारे एवं एक मुश्त समाधान हेतु "बिहार कराधान विवाद समाधान योजना" लागू की गयी है। ई–कॉमर्स के माध्यम से राज्य में आयातित माल, जिसके आवक में लगातार वृद्धि हो रही है, पर कर वसूलने के लिए बिहार प्रवेश कर अधिनियम में संशोधन किये गए हैं।

72. निबंधन से संबंधित समस्त शुल्कों को संग्रहित करने के लिये पेमेंट गेटवे की वैकल्पिक निःशुल्क व्यवस्था की गयी है। बिहार के निबंधन कार्यालयों में वर्ष 1795 से दस्तावेजों से संबंधित संधारित अभिलेखों को पूर्णरूपेण डिजिटाईज्ड करने का काम प्रारम्भ किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप आम–जन को समस्त अभिलेख कम्प्यूटर के माध्यम से तत्काल उपलब्ध हो जाएँगे। भूमि एवं अन्य सम्पत्तियों का निबंधन ऑन–लाईन प्रक्रिया से करने संबंधी पटना जिले में पायलट प्रोजेक्ट का शुभारम्भ हाल ही में किया गया है।

73. नई उत्पाद नीति के तहत प्रथम चरण में पूरे बिहार में देशी और मसालेदार शराब 1 अप्रैल, 2016 से बन्द कर दी जायेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी शराब भी बन्द कर दी जायेगी। इसके उपरान्त दूसरे चरण में विदेशी शराब भी संपूर्ण राज्य में बंद कर मद्य निषेध का संकल्प पूर्ण किया जायेगा। प्रथम चरण में दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से पूरे राज्य में देशी तथा मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण, व्यापार, उपभोग हेतु अनुज्ञप्ति–अनुमति नहीं दी जायेगी। अब मात्र शहरी क्षेत्रों, यथा– नगर निगम तथा नगर परिषद् में केवल विदेशी शराब–आई०एम०एफ०एल० ही उपलब्ध हो सकेगी। इन सभी विदेशी शराब–आई०एम०एफ०एल० की दुकाने (ऑफ) होंगी, अर्थात् इन दुकानों में बैठकर पीने की व्यवस्था नहीं होगी। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगर पंचायत स्तर पर सभी बार और रेस्टोरेन्ट, जो अभी विदेशी शराब–आई०एम०एफ०एल० बेचते थे, को अनुज्ञप्ति नही दी जायेगी। विदेशी शराब–आई०एम०एफ०एल० की सभी दुकानें बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीधे नियंत्रण में रहेंगी और वे ही इन दुकानों को चलायेंगे।

74. इस नीति के प्रभावी होने के बाद राज्य में डिस्टिलरियाँ छोआ से ईथेनॉल बना सकेंगी। जिला में मद्य–निषेध हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को पूर्ण रूप से प्राधिकृत किया गया है। प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के साथ–साथ, पूरे राज्य में मद्य निषेध का प्रचार–प्रसार कर मद्यपान से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जन–मानस को सचेत किया जा रहा है। पूर्ण मद्य–निषेध के संकल्प के साथ सरकार द्वारा शराबबन्दी की अपनी इस मुहिम को सब का सहयोग प्राप्त कर एक जन आन्दोलन का रूप दिया जा रहा है। प्रत्येक जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डी–एडिक्शन केन्द्र खोला जायेगा, जहाँ नशा मुक्ति के लिए उपचार–परामर्श दिया जायेगा। इन केन्द्रों के लिए डॉक्टर, परामर्शी एवं नर्स की व्यवस्था की जा रही है। नई उत्पाद नीति को पूर्णतया लागू करने हेतु उत्पाद अधिनियम में दंड के प्रावधानों को और कड़ा करने से संबंधित विधेयक वर्तमान सत्र में लाया जायेगा।

75. वाहनों की बिक्री एवं निबंधन के क्षेत्र में भी प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की गयी है। नागरिकों की सुविधा हेतु सभी जिलों में जिला परिवहन कार्यालय–सह–परिवहन सुविधा केंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में 13 जिलों में आधुनिक सुसज्जित परिवहन भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अन्य जिलों में भवनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। पर्यावरण की शुद्धता एवं संतुलन को कायम रखने के लिए मोटर वाहन जनित प्रदूषण नियंत्रण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

76. बालू खनिज का उत्खनन एवं प्रबंधन नई बालू नीति के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। बिहार राज्य के 29 जिलों में बालू खनिज उपलब्ध है। इन जिलों को 25 बालू घाट इकाइयों के रूप में नई बालू नीति के प्रावधानों के अनुसार संगठित किया गया है। प्रत्येक बंदोबस्तधारी द्वारा राज्य सरकार से माईनिंग प्लान अनुमोदित कराकर तथा सक्षम प्राधिकार से निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति समर्पित करना अनिवार्य किया गया है। अवैध खनन की रोक–थाम को प्रभावकारी बनाने के लिए विभाग सतत् प्रयत्नशील है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में अब तक कुल 3 हजार 442 छापेमारी, 2 हजार 299 जब्ती, 936 व्यक्तियों पर प्राथमिकी, 105 गिरफ्तारी तथा 7 करोड़ 52 लाख रूपये की वसूली की गयी है।

77. राज्य में खेल संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु राजगीर में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्टस एकेडेमी के निर्माण की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत राज्य के सभी 534 प्रखंडो में आउटडोर स्टेडियम निर्माण की योजना है। अबतक 239 स्टेडियमों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिन्हें ससमय पूरा करने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य के सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, संवर्द्धन, विकास एवं प्रचार हेतु विभिन्न पहल की गयी है। चाक्षुष एवं प्रदर्श कला से संबंधित प्रकाशन के कार्य किये जा रहे हैं।

78. वर्तमान में पुरातत्व निदेशालय के अन्तर्गत अभी तक कई महत्वपूर्ण स्थलों पर उत्खनन कार्य कराए गए हैं। गत वर्ष निदेशालय द्वारा तेल्हाड़ा (नालन्दा), चौसा (बक्सर), चेचर (वैशाली), कटरागढ़ (मुजफ्फरपुर), सलेमपुर (मधुबनी), ताराडीह (बोधगया), चिरांद (सारण), अपसढ़ (नवादा) आदि पुरास्थलों पर उत्खनन कार्य कराया गया है। 2015–16 के लिए राज्य सरकार द्वारा तेल्हाड़ा (नालन्दा), चौसा (बक्सर) एवं देवनगढ़ (नवादा) में उत्खनन कराने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुज्ञप्ति हेतु अनुरोध किया गया था जो अप्राप्त है। केन्द्र सरकार से इसके लिए पुनः अनुरोध किया जा रहा है।

79. पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष–2015–16 में 11 परियोजनाओं को पूर्ण किया गया, जिसमें सन्निहित राशि 32 करोड़ 73 लाख रूपये है। इसके अन्तर्गत पाण्डू पोखर, राजगीर एवं खानकाह मनेर शरीफ में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास, जानकी विहार, पुनौरा का निर्माण, दशरथ मांझी स्मारक, गया का विकास एवं सौन्दर्यीकरण आदि का कार्य किया गया। प्रदेश में पर्यटन के त्वरित विकास हेतु नई पर्यटन प्रोत्साहन नीति का निर्माण अंतिम चरण में है और इसके लिए पर्यटन रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। राज्य में विभिन्न पर्यटकीय स्थलों के चरणबद्ध विकास हेतु परिपथ वार कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें बौद्ध परिपथ, जैन परिपथ, सूफी परिपथ, सिख परिपथ, महात्मा गांधी परिपथ एवं रामायण परिपथ आदि प्रमुख हैं। वर्ष 2015 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2 करोड 80 लाख 29 हजार 118 रही, जबकि 9 लाख 23 हजार 737 विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। श्री गुरूगोविन्द सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाश उत्सव एवं चम्पारण सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ मनाये जाने की व्यापक तैयारी की जा रही है।

80. सूचना प्रावैधिकी वर्तमान समय में किसी भी शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। सूचना प्रावैधिकी विभाग अन्तर्गत बिहार कौशल विकास मिशन के तहत् राज्य के 5 हजार 600 बेरोजगार युवाओं को आई.टी. के क्षेत्र में नाईलिट के द्वारा रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा सी–डैक, पूणे के माध्यम से बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये सूचना प्रौधोगिकी के क्षेत्र में "मुफ्त कोचिंग योजना" के तहत् विभिन्न कोर्सों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

81. बिहार राज्य में कार्यरत मीडिया कर्मियों के लिए बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना लागू है। अभी तक कुल 531 मीडिया कर्मियों को बीमित किया जा चुका है, जिसके लिए 50 लाख रूपये व्यय संभावित है। सभी जिलों में प्रेस क्लब भवन के निर्माण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। राज्य के वरिष्ठ मीडिया कर्मियों को पेंशन योजना से

अच्छादित करने के उद्देश्य से विभाग के स्तर पर पत्रकार पेंशन योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

82. राज्य सरकार 'सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 एवं विकसित बिहार के सात निश्चय को एक निर्धारित समय–सीमा के अन्दर क्रियान्वित करने की मंशा रखती है। इन निश्चयों, कार्यक्रमों एवं संकल्पों के मिशन मोड में क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था करने के लिए 'बिहार विकास मिशन' का गठन किया गया है। 'बिहार विकास मिशन' के माध्यम से संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए नवीन एवं बेहतर कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को त्वरित एवं प्रभावकारी रूप से सुनिश्चित किया जा सके। प्रक्रियाओं का सरलीकरण, अभिनव समाधान तथा सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत कराना एवं कठिन मुद्दों को सुलझाने के लिए अनुकूलित हल देना इस मिशन का लक्ष्य होगा। प्रभावकारी लोक–संवाद स्थापित कर, लोगों की प्रतिक्रियाएँ एवं विचार प्राप्त किये जायेंगे। प्रगति एवं उपलब्धियों का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा, ताकि लोक शिक्षण के साथ–साथ कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

83. मैंने आपके समक्ष सरकार की उपलब्धियों एवं भावी कार्यक्रमों को रखा है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार **न्याय के साथ विकास** के मार्ग पर अग्रसर हैं। समाज के सबसे कमजोर एवं साधनहीन वर्ग की बेहतरी के लिए विकास योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाने के उद्देश्य से सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। मुझे आशा है कि सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर बजट सत्र में सार्थक चर्चा होगी। इसके साथ–साथ, सत्र के दौरान वित्तीय कार्यों के अलावा विधायी एवं अन्य कार्यों का भी निपटारा किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सदस्य जिम्मेवारी के साथ सत्र के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। यह बजट सत्र आपके विचारों के आदान–प्रदान से अपने कार्यों को निष्पादित करने में सफल होगा। मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद।

।। जय हिन्द ।।